मु.नं.–61 / 2021 GCMS ID-2021/103 ता.रजु–23.07.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

कैलाश चंद वर्मा निवासी बी–23, जय जवान अपार्टमेंट, विद्याधर नगर, सैक्टर–1, जयपुर – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 05.08.21, 11.08.21, 18.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर कार्यालय जिला कलक्टर करौली के पत्र क्रमांक–पी.जी. / जन शिकायत / (244 / 21) / 220 दिनांक 15.03.21 की प्रमाणित प्रति मय अनुसंलग्नक दस्तावेज ऑफिस नोट की समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना एक पृष्ठ में तैयार उनके पत्र क्रमांक 482 दिनांक 20.07.2021 द्वारा रजिस्टर्ड डाके से प्रेषित कर दी गई है। अंत में अपील, अपीलार्थी निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को 1 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी वह इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इससे विदित होता है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली